संख्या– 1224 /35–4–2014

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–4

लखनऊः दिनांक 10 अक्टूबर,2014

विषयः–वर्ष 2014–15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में शासनादेश संख्याः 154/35–4–2014 दिनॉक 21 जनवरी, 2014 के द्वारा 51 कार्यों की रू. 2047.56 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू 1023.78 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। जिलाधिकारी के पत्र संख्याः 448/त्वरित आर्थिक विकास योजना/2013–14 दिनांक 23 अगस्त, 2014 द्वारा स्वीकृत 51 में से 35 कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक का उपयोग होना इंगित किया गया है। अतः एतद्द्वारा निम्नांकित कार्यों के लिये उनके सामने अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये अवशेष देय धनराशि रू. 581.04 लाख (रूपये पॉच करोड़ इक्यासी लाख चार हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(लाख रू0 में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	मालिक यादव के मकान से फूलमती मन्दिर वाया हम्मालीपुर्वा	29.34	14.67	14.67
2	गोमती स्कूल के दाई रोड से जी0टी0 रोड़ तक सम्पर्क मार्ग	38.19	19.1	19.09
3	हाजी रहिम की फैक्ट्री से टियूबबेल तक सम्पर्क मार्ग	7.85	3.93	3.92
4	महल्ला सदरपुर फौजी के मकान से वाया मस्जिद से फूल सिंह के खेत तक सम्पर्क मार्ग	10.89	5.45	5.44
5	मो0 सदरपुर तारीक गुरू की मजिस्द कैमद्दीन के मकान तक तक सम्पर्क मार्ग	15.21	7.61	7.6
6	जिया के मकान से बन्ने खान के मकान से होते हुए हाजी शरीफ तक सम्पर्क मार्ग	55.13	27.57	27.56
7	मीरा टोला मुन्ना दरोगा के घर से दिलशाह की फैक्ट्री तक तक सम्पर्क मार्ग	22.19	11.1	11.09
8	संयोगिता मार्ग (भुडा मन्दिर) से हाजी शरीफ एवं बाबा गौरीशंकर मन्दिर होते हुये शिखाना कोतवाली तक मार्ग	266.66	133.33	133.33
9	मुल्ला वेरी वाले के मकान से होते हुये सकाबत डेरी रोड तक सम्पर्क मार्ग	22.67	11.34	11.33
10	लाल सिंह के मकान से मिश्रा जी के मकान से होते हुए गौरी शंकर मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग	24.68	12.34	12.34
11	ग्वाल मैदान से गौरी शंकर मन्दिर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग	14.63	7.23	7.4
12	नई बस्ती से बालापुरी होते हुये लुधपुरी तक मार्ग	42.03	21.02	21.01
13	हारिस के घर से लुधपुरी रोड तक सम्पर्क मार्ग	23.58	11.79	11.79

14	ग्वाल मैदान (सिखा मेडिकल) से वाया लाल सिंह के मकान से बाबा शंकर मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग	51.1	25.55	25.55
15	हसीब हसन के मौलवी साहब के मकान तक लिंक रोड तक सम्पर्क मार्ग	7.02	3.51	3.51
16	शिखाना से काजी टोला तक लिंक रोड तक सम्पर्क मार्ग	29.2	14.6	14.6
17	अनवर मास्टर के मकान होते हुये हसन के मकान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	7.64	3.82	3.82
18	काली दुर्गा मन्दिर रोड से सरस्वती शिशु मन्दिर मीना देवी स्कूल तक सम्पर्क मार्ग	20.58	10.29	10.29
19	हर्षवर्धन मोहल्ला से संजय दुबे के मकान तक सम्पर्क मार्ग	12.5	6.25	6.25
20	रगहाव वाली गली से लिंक रोड तक सम्पर्क मार्ग	7.49	3.75	3.74
21	बस स्टेशन से नई कचेहरी सम्पर्क मार्ग	48.82	24.41	24.41
22	डाकबंगला रोड, टयूवबेल रोड व राम नरेश के घर तक सम्पर्क मार्ग	6.79	3.4	3.39
23	जी0टी0 रोड से काली दुर्गा मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग	20.97	10.49	10.48
24	कटियार के मकान से आजाद फौजी के मकान तक सम्पर्क मार्ग	16.47	8.24	8.23
25	बजरिया शिखाना छुन्ने के टियूवबेल से पुलिस लाइन तक सम्पर्क मार्ग	85.74	42.87	42.87
26	मकन्दनगर पुलिस चौकी होते हुये प्रवीन की चक्की होते हुये शिवकुमार यादव के मकान तक	25.71	12.86	12.85
27	साहिल्यापुर रोड से रमाकान्त यादव के मकान तक सम्पर्क मार्ग	5.07	2.54	2.53
28	वी0पी0 रोड वाया सन्तोष मेमोरियल स्कूल से पी0डब्लू0डी0 तक सम्पर्क मार्ग	17.91	8.96	8.95
29	तलैया चौकी से पम्पी जेन की फैक्ट्री होते हुये संयोगिता मार्ग तक	64.57	32.29	32.28
30	सरायमीरा से रेलवे पोषक रोड तक सम्पर्क मार्ग	9.32	4.66	4.66
31	रेलवे स्टेशन से शिवाजी नगर तक लिंक रोड तक सम्पर्क मार्ग	68.1	34.05	34.05
32	जी0टी0 रोड से शिक्षा सदन तक लिंक रोड तक सम्पर्क मार्ग	13.2	6.6	6.6
33	गोमती स्कूल से ओम प्रकाश तिवारी की फैक्ट्री तक सम्पर्क मार्ग	9.51	4.75	4.76
34	जी.टी. रोड –तिवारी होटल– से कुतुलुपुर सम्पर्क मार्ग	54.92	27.46	27.46
35	बिजली कालोनी से यादव कालोनी मार्ग	6.38	3.19	3.19
	योग	**1162.06**	**581.02**	**581.04**

1– सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 जनवरी,2014 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2– प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/पी. एल.ए. में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यो के रूप में कार्यदायी विभाग – द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत–सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–47/दस–97–10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

3– इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिये अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च,2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च,2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग–4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6– कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगें।

2– उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–40–आयोजनागत–लेखाशीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय –04–जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–03–त्वरित आर्थिक विकास योजना–04–शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–2457/दस–2014–231 /2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्याः 1224 (1)/35–4–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2–महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3–प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/गन्ना विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/कृषि विपणन।
4–प्रमुख सचिव, वित्त।
5–निजी सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी।
6–मण्डलायुक्त, कानपुर।
7–जिलाधिकारी, कन्नौज।
8–मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
9–कोषाधिकारी, कन्नौज।
10–गार्ड फाईल
11–वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
12–राज्य योजना आयोग–1
13–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।